UPAG010062662026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.आई.एक्ट), आगरा।

उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0– UP06100

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2640/2026

दीपक उर्फ अक्कू पुत्र स्व0 नारायण सिंह उर्फ राम दयाल, निवासी– 34/109, राजवाड़ा, बल्केश्वर, थाना कमला नगर, जिला आगरा। .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार .....विपक्षी

एस.एस.टी. नं. 1479/2024
अपराध सं0–151/2022
धारा– 323 व 504 भा0दं0सं0
थाना– कमला नगर, जिला आगरा

दिनांक 03.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक उर्फ अक्कू** की ओर से एस.एस.टी. नं. 1479/2024, अपराध सं0–151/2022, धारा– 323 व 504 भा0दं0सं0 थाना– कमला नगर, जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के शपथ पत्र से समर्थित है जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पारस दिवाकर द्वारा थाना कमला नगर, आगरा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 19.02.2022, समय रात्रि 10.50 बजे मेरा भाई मनीष उर्फ मोनू, चुन्नीलाल स्कूल के पास शादी में गया था, वहां पर रवि, प्रदीप व अन्य दो व्यक्ति दारू पिए हुए थे। मैंने वहां दारू पीने से मना किया तो गालीगलौच करने लगे, गाली देने से मना किया तो मारपीट करने लगे और गाडी सं0 यू0पी0 80 सी0टी0 3247 पी0आई0यू0के0 यू0पी0 से डण्डा निकालकर मेरे भाई के पैरे में मार दिया जिसे काफी चोटें आयी।

4– वादी मुकदमा मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अ0सं0 151/2022 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा– 323 व 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का वादी मुकदमा से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है। उपरोक्त मुकदमा बनावटी घटना पर आधारित है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं लिखाया गया है। अभियुक्त का पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6— अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई के साथ मारपीट कर, गालीगलौच की गयी। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

7— प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8— अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा के के भाई के साथ डण्डा से मारपीट करने, गालीगलौच करने का आरोप है। प्रस्तुत मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 41(1) दं0प्र0सं0 का नोटिस तामील कराते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में साक्ष्य एकत्रित किया जाना शेष नही है तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग प्रदान किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 19.02.2022, समय 22.50 बजे की दर्शायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 20.02.2022 को, समय 03.20 बजे पंजीकृत करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय में आत्म समर्पण पर न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है।

9— अतएव न्यायालय के विचार में प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की कतिपय शर्तो पर जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक उर्फ अक्कू** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 20,000/—रूपये की व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत प्रदान की जाती है कि :—

1— यह कि अभियुक्तगण वादी व साक्षियों पर भय, प्रलोभन व दबाव नही डालेगा।

2— यह कि अभियुक्तगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नही करेगे।

3— यह कि अभियुक्तगण द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

4— यह कि अभियुक्तगण इसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगे।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.आ.एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.06.11 07:22:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court